



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-02/खा०ग्रा०बो०/खादी/एमडीए/2026-27, दिनांक 06.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता हेतु उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार से पंजीकृत/प्रमाणित एवं वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा किये गये उत्पादन के दावों पर आने वाले व्यय भार को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 3500.00 लाख (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**नियम व शर्त / प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र० तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उ०प्र० द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2017/673/59-1-2017-126(खा)/2016टीसी, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 एवं तदविषयक संशोधित शासनादेश संख्या-3/2018/316/59-1-2018-126(खा)/2016टीसी, दिनांक 01 मई, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 15 प्रतिशत की दर से उत्पादन पर वित्तीय सहायता देय होगी। उक्त 15 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित धनराशि का उपरोक्त संस्थाओं में कार्यरत कतिन/बुनकर को 34 प्रतिशत की दर से, संस्था को उत्पादन के आधार पर 33 प्रतिशत की दर से तथा संस्था को विपणन संवर्धन हेतु 33 प्रतिशत की दर से देय होगा। संस्था में कार्यरत उन्हीं कतिन/बुनकर को धनराशि वितरित की जायेगी जो प्रदेश के निवासी हो तथा प्रदेश के बाहर निवास करने वाले कतिन/बुनकर को किसी भी दशा में बोनस का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (7) पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता का भुगतान त्रैमासिक स्तर पर एन०ई०एफ०टी०आर०टी०जी०एस० के माध्यम से पूरे वर्ष समान दर से अनुमन्य किया जायेगा।
- (8) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित कास्ट चार्ट के अनुसार खादी उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखते हुए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यांक की सीमा के अन्तर्गत सहायता की गणना की जायेगी।
- (9) सोलर चर्खे से उत्पादित सूत से बने वस्त्रों पर भी पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता देय होगी, जिसका लेखा-जोखा संस्था द्वारा सामान्य अभिलेखों से अलग रखा जायेगा।
- (10) लाभान्वित होने वाली संस्थाओं से प्राप्त दावों को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा संस्था में कार्यरत कतिन/बुनकर का आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर सहित सत्यापन, दावों का अभिलेखीय परीक्षण एवं अन्य संगत औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रमाण-पत्र सहित हस्ताक्षरोपरान्त मुख्यालय को भुगतान हेतु अग्रसारित किया जायेगा। योजनाधिकारी द्वारा जनपद स्तर से प्राप्त दावों का मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के अधीन गठित आडिट टीम से परीक्षण कराते हुए पात्र इकाईयों के दावों का नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी।
- (11) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय/बजटीय प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (12) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि से प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत लाभान्वित समस्त संस्थाओं की सूची बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,00,00,000.00 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 005 लेखा शीर्षक 2851001052700** पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता **मानक मद 27** सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय  
विशेष सचिव।

**संख्या-19/2026/167/59-2-2026/001-1811540, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 8- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय  
विशेष सचिव।